

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था जयपुर

क्रमांक :

दिनांक :-

परिपत्र

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा देने के आह्वान के क्रम में माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा विधान सभा के बजट सत्र में राजस्थान जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जैविक प्रमाणीकरण हेतु लिये जाने वाले शुल्क में 20 प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की गयी थी।


इसी घोषणा की अनुपालना में संस्था के कार्यालय आदेश क्रमांक 3147-3207 दिनांक 11.09.2014 द्वारा शिड्यूल-बी (जैविक प्रमाणीकरण की दरें) के सभी मदों में 20 प्रतिशत की छूट एवं यात्रा व्यय वास्तविक दर के आधार पर ही लेने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त आदेश दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी होंगे।

(मधुसूदन शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- 506-15
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 28/5/15

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. श्रीमान निजी सचिव, अतिरिक्त शासन सचिव कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त कृषि विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. श्रीमान संयुक्त सचिव कृषि (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
5. श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (एटीसी), कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, जयपुर।
7. लेखाधिकारी, रा0रा0बी0एवंजै0उ0 प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर।
8. समस्त तकनीकी अधिकारी, रोका, जयपुर।
9. समस्त इकाई प्रभारी RSSOPCA,


(मधुसूदन शर्मा)
निदेशक